

1.62 करोड़ रुपये का अवैध डोडा-चूरा पकड़ा, वाहन चालक फरार

डोडा-चूरा तस्करी में प्रयुक्त वाहन पिकअप व क्रेटा कार को भी पुलिस ने जब्त किया

भीलवाड़ा, (निस)। जिले की रायपुर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने 10 विंचंटल 8। किलोग्राम डोडा-चूरा जब्त किया है। अवैध मादक पदार्थ तकरी में प्रयुक्त वाहन पिकअप व क्रेटा कार को भी जब्त किया गया है। जब्त मादक पदार्थों की अतर्जीवीय वाहन कीमत करीब एक करोड़ 6 लाख रुपये है।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह वादें के निर्देश और एसपी सहाड़ा रेशनलाल घटेल के सुपरविजन में चलाए जा रहे अधियान के तहत रायपुर थाना प्रभारी को डीएसटी कार्स्टेंटल गोपालराम ने सूचना दी कि डीएसटी इचार्ज अशक्त कुमार व टीवी गंगापुर से रायपुर की ओर आ रही थी। पुलिस ने रायपुर गौशाला के पास नाकावंदी की तो सबसे अंगों चल रही क्रेटा कार पुलिस को देखकर रुक गई। चालक कार छोड़ अंगों में भाग छूटा। उसके पांछे आ रही पिकअप को पुलिस ने रोके की



रायपुर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने डोडा-चूरा जब्त किया।

कारिशम को तो चालक वाहन को ने संगों से उठाकर पटका : इसमें महिला गंभीर रूप से घायल करने पर वह भी वाहन छोड़कर जंगल जोधपुर के मंडोर क्षेत्र के चैनपुरा हो गई। घायल महिला को निजी बावड़ी में एक महिला को आवारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

■ रायपुर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने 10.81 विंचंटल डोडा-चूरा जब्त किया

है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसमें एक महिला सड़क पर पैदल जाते हुए नजर आ रही है। तभी अचानक से ही सामने से मांडे में साँड़ दौड़ा हुआ आया और उसने महिला को उछलकर दीवार की तरफ पटक दिया।

इसके चलते महिला घायल हो गई। काफी देर तक महिला सड़क किनारे ही पड़ी रही। बाद में एक अन्य महिला दौड़ी हुई आई और घायल महिला को उठाकर दीवार की तरफ पटक दिया।

घायल महिला का नाम सरोज

है। घटना 22 सिंतंबर की बताई जा रही है। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

खिरनी की नई प्रजाति की पहली उपस्थिति उदयपुर जिले में दर्ज

उदयपुर, (निस)। राजस्थान की जैव विविधता में एक महवर्षीय उपलब्ध दर्ज करते हुयी खिरनी की नई प्रजाति की पहली उपस्थिति उदयपुर जिले में दर्ज की गई है। खिलौने बनाने के लिए

■ खिलौने बनाने के लिए उपयुक्त वानी जाने वाली इस लकड़ी की नई प्रजाति "राइटिया डोलीकोकारपा" की खोल ढेवर वन क्षेत्र और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में हुई

■ लगभग पचपन वर्ष बाद यह प्रजाति अब राजस्थान में दर्ज की गई है, जो राज्य के वनस्पति इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना है।

उपयुक्त वानी जाने वाली इस लकड़ी की नई प्रजाति "राइटिया डोलीकोकारपा" को पूर्व वन अधिकारी एवं पर्यावरणविद् डॉ. सतीश कुमार शर्मा और फाउंडेशन फॉर इकोलोजीकल विकास डॉ. अनिल सरसावन ने खोजा है। यह खोल उदयपुर जिले के उद्यावर वन क्षेत्र और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में हुई है। इस नई खोल जोड़ा 1969 में नार उद्यावर के वौदान देखा गया था।

एक समय था जब खिरनी की



खिरनी की नई प्रजाति की पहली उपस्थिति उदयपुर जिले में दर्ज की गई।

लकड़ी से बने खिलौने के लिए उदयपुर शहर देशभर में प्रसिद्ध था। उस समय खिलौने बनाने में दो प्रमुख प्रजातियों को लकड़ी का उपयोग किया जाता था। पहली प्रजाति खिलौनी, जिसे टिक्टोरिया से काफी खिलौनी रुलती कहा जाता है, और दूसरी प्रजाति खिरना, जिसे लकड़ी की लंबाई इसे अलग वहचान देती है। जहां टिक्टोरिया के फलों की लंबाई 15 से 50 सेमीटर तक होती है, वहीं डोलीकोकारपा के फल 60 से 96 सेमीटर तक लंबे पाए गए हैं। इन सेमीटर तक लंबे पाए गए हैं। इन लकड़ी को उपयोग किया जाता था। खिलौने बनाने में दो वानस्पति इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना है।

जो याज के वनस्पति इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना है। नई प्रजाति डोलीकोकारपा अकार में पूर्व जात खिरनी राइटिया टिक्टोरिया से काफी खिलौनी रुलती कहा जाता है और दूसरी प्रजाति खिरना, जिसका वैज्ञानिक नाम राइटिया पर्पयावरानिविद् डॉ. सतीश कुमार शर्मा और फाउंडेशन फॉर इकोलोजीकल विकास डॉ. अनिल सरसावन ने खोजा है। यह खोल उदयपुर जिले के उद्यावर वन क्षेत्र और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में हुई है। इस नई खोल कालू औद्वारा उद्यावर जिले के वौदान देखा गया है, जिसे उद्यावर के लिए एसपी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।

एक समय था जब खिरनी की

महिला की मौत

उदयपुर, (निस)। अम्बामाता थाना क्षेत्र में बांक से गिरने पर घायल महिला की मौत हो गई। ऊधुवार को अम्बामाता थाना क्षेत्र ब्रह्मपुल रोड पर बांक से गिरने पर गांधीनी वानी निवासी निवासी वानी जारी रही। यह खोल उदयपुर जिले के उद्यावर वन क्षेत्र और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में हुई है। इस नई प्रजाति खोल कालू के साथ घायल हो गई, जिसे उद्यावर के लिए एसपी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।

■ पूर्व पर्यायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम का एसपी को ज्ञापन सौंपा

ही उद्योग अवैध खनन में खिनज विभाग के अधिकारी और पुलिस की मिलानीपत्र का आरोप लगाते हुए कुछ अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया। किन्तु उद्यावर वन क्षेत्र के उद्यावर वन क्षेत्र और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने ज्ञापन में खिनज विभाग के अधिकारी और पुलिस की मिलानीपत्र का आरोप लगाते हुए कुछ अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

इस मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने ज्ञापन में खिनज विभाग के अधिकारी और पुलिस की मिलानीपत्र का आरोप लगाते हुए कुछ अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द गांव में दर्ज किया गया।

उद्योग अवैध खनन के लिए एसपी चिकित्सालय में खिनज विभाग के अधिकारी और गोगु